नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा कालवी के खाता संख्या 267 प्रदर्ष–1, कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 2 जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहते वाद पत्र को वाद के पैराज अनुसार डिक्रि करवाना चाहने के कारण साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिकी करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 2 ने वादपत्र को डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर शपथ पत्र आदी का अवलोकन किया गया । वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंषिकतः ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। मौजा कालवी में खसरा नम्बर 376/15 रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 377/15 रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 382/9 रकबा 1.7078 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 385/27 रकबा 1.2302 हैक्टेयर में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वाद को डिक्रि किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण संख्या 2 मैना देवी ने उक्त खेताय से अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग कर रहे हे एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किाय गया है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि तहसीलदार जायल के पास जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिकी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 पुनमचन्द कालवी के बंट में मौजा कालवी का खेत खसरा नम्बर 377/15 रकबा 0.1375 हैक्टेयर पूरा, खसरा नम्बर 382/9 रकबा 1.7078 हैक्टेयर में से रकबा 0.8539 हैक्टेयर आधा पूर्वी भाग रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. वादी संख्या 2 मालाराम मेघवाल के बंट में मौजा कालवी का खेत खसरा नम्बर 376/15 रकबा 0.1375 हैक्टेयर पूरा, खसरा नम्बर 382/9 रकबा 1.7078 हैक्टेयर में से रकबा 0.8539 हैक्टेयर आधा पश्चिमि भाग रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 चुन्नीलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कालवी का खसरा नम्बर 385/27 रकबा 1.2302 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

4. प्रतिवादी संख्या 2 मैना देवी के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
5. उक्त खसरान में से बैक के रहन रहने कि स्थिति में रहन यथावत रहेगी।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हकतर्क के लिए स्टामप ड्युटी कि राशी प्राप्त कर, माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 9.5.22 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner